(3)

न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—12/2019 विविध

राजबहादुर सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

——प्रार्थी

बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र श्री गुरदित सिह
2. जगदेव सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह
3. लाभ सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह
4. कुलदीपसिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह
5. गुरबक्स सिंह पुत्र श्री मान सिंह
6. बलकरण सिंह पुत्र श्री गुरबक्स सिंह
7. बचन सिंह पुत्र श्री गुरबक्स सिंह
8. धर्म सिंह पुत्र श्री कौल सिंह
9. कर्म सिंह पुत्र श्री कौल सिंह
10. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री कौल सिंह
11. सवेन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह
12. कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह
13. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह
14. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह

जाति जटसिख निवासीयान शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

15. श्री कपिल यादव सहायक कलक्टर, संगरिया।

——अप्रार्थीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया में लम्बित पत्रावली बअनवानी जगसीर सिंह आदि बनाम हमीर सिंह आदि राजस्व वाद संख्या 260/2017, वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तारीख पेशी 20.02.2019 की पत्रावली को अन्य न्यायालय में अन्तरित किए जाने बाबत।

उपस्थितः—1. श्री अनुभव सिडाना वकील प्रार्थी
2. श्री अब्दुल सत्तार जोइया वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 14
3. श्री सोहन लाल सहारण वकील स्टेट की ओर से

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

आदेश दिनांकः–11.04.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया में राजस्व वाद बअनवानी जगसीर सिंह आदि बनाम हमीर सिंह आदि के नाम से अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। इस वादपत्र में प्रार्थी को प्रतिवादी संख्या–17 व प्रार्थी की पत्नि को प्रतिवादी संख्या–146 बनाया गया।

उक्त शीर्षक की पत्रावली प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर टिब्बी न्यायालय में अन्तरित कर दी गई एवं न्यायालय सहायक कलक्टर टिब्बी ने राजनैतिक दबाव में आकर दिनांक 20.03.2018 को वादीगण के पक्ष में अप्रार्थी एवं अन्य प्रतिवादीगण के प्रतिदावा का विवरण दिये बिना ही वाद डिक्री कर दिया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर टिब्बी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2018 से अप्रसन्न होकर राजबहादूर सिंह ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ में अपील बअनवानी राजबहादुर सिंह आदि बनाम जगसीर सिंह आदि के नाम से प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने दिनांक 29.05.2018 को न्यायालय सहायक कलक्टर टिब्बी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.03.2018 निरस्त कर दिया एवं पत्रावली सहायक कलक्टर, टिब्बी को प्रेषित की गई। प्रार्थी को एवं अन्य प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही माननीय न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के सहायक कलक्टर, टिब्बी के निवेदन पर यह पत्रावली संगरिया न्यायालय में अन्तरित कर दी गई जिसका प्रार्थी एवं अन्य प्रतिवादीगण को कोई ज्ञान नहीं होने दिया।

न्यायालय सहायक कलक्टर टिब्बी में उक्त शीर्षक का दावा व उसके संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लम्बित था। न्यायालय सहायक कलक्टर, टिब्बी ने दिनांक 30.11.2018 को पक्षकारान को तारीख पेशी 28.02.2019 बताई व उसके उपरान्त प्रार्थी व प्रतिवादीगण को बिना बताये दिनांक 23.01.2019 को पत्रावली पेशी में लेकर यह आदेश पारित किया कि न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के पत्रांक–रीडर/डी.एम./19/11 दिनांक 17.01.2019 के संलग्न प्रेषित निर्णय दिनांक 03.01.2019 की प्रति प्राप्त होने पर पत्रावली पेशी में ली गई एवं उक्त शीर्षक का वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर, संगरिया को प्रेषित कर दिया व पत्रावली तारीख पेशी 28.02.2019 के स्थान पर 31.01.2019 निश्चित कर दी जिसका प्रार्थी को कोई ज्ञान नहीं होने दिया।

प्रार्थी को तारीख पेशी का ज्ञान नहीं होने के कारण प्रार्थी दिनांक 31.01.2019 को न्यायालय सहायक कलक्टर, संगरिया के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ चुंकि वादीगण को न्यायालय सहायक कलक्टर टिब्बी के पीठासीन अधिकारी ने गुप्त रूप से तारीख बता दी थी इसलिए वादीगण दिनांक 31.01.2019 को संगरिया न्यायालय में उपस्थित हो गये।

न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया के पीठासीन अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 31.01.2019 को पत्रावली को पेशी में लेकर प्रतिवादी संख्या–126/2 व 126/3 एवं 127/7 का राजीनामा तस्दीक कर दिया एवं जल्दबाजी में तारीख पेशी 04.02.2019 निश्चित कर दी जबकि 28.02.2019 से पूर्व कोई कार्यवाही की जानी उचित नहीं थी। दिनांक 04.02.2019 को प्रार्थी की अनुपस्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर, संगरिया के पीठासील अधिकारी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(5)

भिन्न–भिन्न प्रकार के आवेदन पत्र बिना सुने खारिज कर दिये एवं पत्रावली में तारीख पेशी 07.02.2019 निश्चित कर दी। जिसका प्रार्थी को कोई ज्ञान नहीं होने दिया। दिनांक 12.02.2019 को वादीगण ने ग्राम शाहपीनी में यह धमकी दी कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, श्री कपिल यादव से उनकी बातचीत हो गयी है एवं वे शीघ्र ही अपने पक्ष में निर्णय पारित करवायेंगे इस बात का ज्ञात होते ही प्रार्थी ने दिनांक 14.02.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाना–47 नियम–1 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया सहिता का प्रस्तुत किया एवं विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से यह निवेदन किया कि उक्त शीर्षक की पत्रावली में तारीख पेशी 28.02.2019 पूर्व में निश्चित है इसलिए प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जावे। यह सुनते ही न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया के पीठासीन अधिकारी न्यायालय में आग बबुला हो गये व कहने लगे कि मैं इस पत्रावली में अविलम्ब निर्णय पारित करूंगा, मैं किसी तारीख से बंधा हुआ नहीं हूं। मुझे वर्तमान विधायक या अन्य किसी मंत्री का कोई डर नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया के पीठासीन अधिकारी श्री कपिल यादव पर कोई विश्वास नहीं रहा है। प्रार्थी उक्त शीर्षक की पत्रावली व उसके संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से टिप्पणी मंगवाई गई।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के अभिभाषक को बिना सुचित किये दिनांक 03.01.2019 को पत्रावली टिब्बी न्यायालय से संगरिया न्यायालय में अन्तरित कर दी। प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में अहम जवाबदेही रखता है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के राजनैतिक दबाव में है इसलिए प्रार्थी को सहायक कलक्टर संगरिया के पीठासीन अधिकारी पर विश्वास नहीं रहा है क्योकि वह अप्रार्थीगण का वादपत्र स्वीकार करेगा एवं प्रार्थी की कृषि भूमि के बाबत् अप्रार्थीगण के पक्ष में घोषणा की डिक्री पारित करेगा। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि "केवल न्याय किया जाना ही पर्याप्त नही है, न्याय करने का आभास भी पक्षकारों को होना आवश्यक है" एवं "न्याय होने के साथ–साथ न्याय दिखाई भी देना चाहिए" पत्रावली पर पारित किये गये आदेशों से यह साबित है कि पीठासीन अधिकारी का आचरण सही प्रतीत नहीं है तथा जल्दबाजी में अप्रार्थीगण का वादपत्र स्वीकार कर प्रार्थी को न्याय से वंचित करना चाहता है। पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाव में किसी भी समय निर्णय पारित कर सकते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में लम्बित वादपत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। प्रार्थी विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उद्वेश्य से बार–बार स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण व पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप केवल काल्पनिक आधार पर लगाये गये है जो मिथ्या व निराधार है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में देरीना करने और अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 को क्षति कारित करने के उदेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। माननीय न्यायालय से गुजारिस है कि उपखण्ड संगरिया व टिब्बी के न्यायालय को छोड कर प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्यत्र न्यायालय को स्थानातरित किया जाता तो उन्हे कोई आपति नही है।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(6)

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत में देरीना करने के उद्वेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप केवल काल्पनिक आधार पर लगाये गये है जो मिथ्या व निराधार है।

अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ए. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के संबंध में पेश हुआ था। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 द्वारा दौराने बहस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया एवं टिब्बी न्यायालय को छोडकर अन्य किसी न्यायालय में अन्तरित किया जाता है उनके द्वारा कोई आपति जाहिर नही की गई हैं। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के जवाब का अवलोकन करने से उनके द्वारा भी विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानातरित करने पर कोई आपति जाहिर नही किया जाना पाया गया। उक्त विवेचनानुसार सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में न्यायहित में स्थानान्तरण किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण संख्या 36/2019 अनवान जगसीर सिंह आदि बनाम हमीर सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व इसके संलग्न अस्थाई निषेघाज्ञा के आवेदनपत्र तारीख पेशी 20.2.2019 की पत्रावली को सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर को स्थानांतरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त प्रकरण को सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर को शीघ्र भिजवाये जावे। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त प्रश्नगत प्रकरणो उनके न्यायालय में प्राप्त होने के पश्चात 3 माह की अवधि के अन्दर न्यायिक प्रकिया को अपनाते हुए विधि सम्मत निर्णय करे। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनांक 11.04.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner